The expansion/modernisation projects are proposed to be funded by the Company out of its internal resources and market borrowings.

मध्य प्रदेश में खनन में प्रयुक्त वैज्ञनिक तकनीकें

970. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में किन-किन खानों में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक द्वारा खनन कार्य किया गया है;

(ख) इस पर अब तक कितना खर्च हुआ है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए कितने धन का प्रावधान किया गया है; और

(घ) राज्य के छत्तीसगढ़ अंचल में स्थित खानों का आधुनिकीकरण और विस्तार करने के लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग): (क) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए खनिज रियायत नियम, 1960 तथा खनिज संरक्षण और विकास नियम 1988 के प्रावधानों के अनुसार प्रमुख खनिजों के बारे में कोई भी खनन पट्टा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि खान के लिए खनन योजना भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विधिवत अनुमोदित न कर दी जाए ताकि खानों का वैज्ञानिक विकास तथा खनिजों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश में "ए" श्रेणी की खानों, जहां वैज्ञानिक तकनीक द्वारा खनन किया गया, की संख्या क्रमश: 49, 49 तथा 46 थी।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार द्वारा खान मालिकों द्वारा किये गए प्रस्तावित खर्चों का ब्यौरा नहीं रखा जाता।

Review of Special Component Plan for SC/ ST

971. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether any review has been conducted regarding proper implementation of the special component plan to the SC and ST during the last two years; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) (a) Yes, Sir.

(b) During Annual Plan discussions every year, review of Special Component Plan for SCs and Tribal Sub Plan for the STs of the States/ UTs are taken with reference to allocation and utilisation of funds and implementation of schemes specially in core sectors and the concerned authorities of the State Governments/ UT Administrations are apprised of the shortcomings and corrective measures to be taken up. Adequate allocation of funds for Special Component Plant for SCs and Tribal-Sub Plans for STs, adoption of Maharashtra Model for allocation and placement of SCP and TSP funds, making the department concerned with SC development and ST development as nodal department for formulation, implementation etc. of SCP TSP, proper utilisation of SCP and TSP funds, etc. are emphasised during the discussions. Special Component Plan and Tribal Sub-Plan of Central Ministries and Departments are also reviewed. The shortcomings noticed and corrective measures to be taken are conveyed to the Central Ministries/Departments which have already formulated SCP & TSP, and other Ministries/Deptts. which have not formulated SCP and TSP so far but can formulate the same are insisted to take adequate steps to formulate TSP as per the guidelines on the matter.

Recently the Planning Commission has been requested to conduct the evoluation study of the SCP for SCs and the ITDP for STs in major Tribal States.

उर्वरक उद्योगों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराई गई सामग्रियां

972. **श्री एस. एस. सुरजेवाला:**
श्री अजीत जोगी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में उर्वरक उद्योगों को रियायती दरों पर कौन-कौन सी सामग्री उपलब्ध कराई गई है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के उर्वरक उद्योगों के लिए वर्ष-वार कितनी-कितनी विशेष वित्तीय सहायता दी गई; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में उर्वरक संयंत्रों द्वारा उर्वरकों का वर्ष-वार और एकक-वार कुल कितना उत्पादन किया गया?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव): (क) प्राकृतिक गैस को छोड़कर उर्वरकों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले पैट्रोलियम उत्पादों की सम्पूर्ण देश में रियायती दरों पर आपूर्ति की जाती है।

(ख) 1993-94 और 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश में स्थित उर्वरक एककों को नियंत्रित उर्वरकों पर आर्थिक सहायता के रूप में 197.07 करोड़ रु. तथा 167.00 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया था। आयातित मूरीएट आफ पोटाश (एमओपी) तथा स्वदेशी फॉस्फेटिक उर्वरकों की बिक्री के बारे में विशेष रियायत योजना के अन्तर्गत अनियंत्रित उर्वरकों पर कृषि मंत्रालय ने 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को 31.92 करोड़ रु. की राशि प्रदान की थी। 1994-95 के दौरान कृषि मंत्रालय ने फासफेटिक उर्वरकों के उत्पादकों तथा मूरीएट आफ पोटाश (एमओपी) के आयातकों को मध्य प्रदेश में इन उर्वरकों की बिक्री के संबंध में रियायत के रूप में 26.42 करोड़ रु. का भुगतान किया था।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में उर्वरक संयंत्रों द्वारा उर्वरकों के उत्पादन के ब्यौरे अनुपत्र में दिए गए हैं। **[देखिए परिशिष्ट 176, अनुपत्र संख्या 41]**

ग्रामीण आवास परियोजना

973. **श्री राजनाथ सिंह:**
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण आवास परियोजना के लिए एक कोष गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग) (श्री विलास बाबूराव मुत्तेमवार): (क) जी, नहीं।

(ख) हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को मुफ्त आवास इकाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1985-86 से इंदिरा आवास योजना को सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 1993-94 से, इसमें गैर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण निर्धन को भी शामिल कर लिया गया है, परन्तु यह शर्त रखी गयी है कि इन्हें दिया जाने वाला लाभ कुल आबंटन के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 1995-96 से, इस योजना का लाभ लड़ाई में मारे गए सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक बलों के सदस्यों के परिवारों को भी दिया जाने लगा है। इंदिरा आवास योजना एक लोकप्रिय कार्यक्रम बन गयी है और इसके लक्ष्य शुरूआत से ही लगभग सभी वर्षों में पार कर गए हैं। इस योजना के अंतर्गत 2434.73 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 1985-86 से 1994-95 तक कुल 20,19,010 मकान बनाए गए।

देशभर में इस योजना की बढ़ती लोकप्रियता तथा साल-दर-साल बेघर परिवारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निधियों के आंवटन को 1994-95 के 438 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1995-96 के लिए 1250 करोड़ रुपये (राज्य अंश सहित) कर दिया गया है, जिससे 10 लाख मकानों को बनाने का लक्ष्य है। 31 जनवरी, 1996 तक 4.39 लाख से भी अधिक मकानों का निर्माण कर लिया गया है।

विकलांग बच्चों की शिक्षा

974. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सामान्य बच्चों की तुलना में स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चों का नवीनतम प्रतिशत कितना है;

(ख) सरकार द्वारा विकलांग बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन विकलांग बच्चों को विशेष सुविधायें प्रदान करने का जो व्हील चेयर का प्रयोग कर रहे हैं या अन्य प्रकार की विकलांगता से पीड़ित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिए)

(ख) वे प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं जिनके अंतर्गत विकलांग बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है:-

(1) विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता,

(2) विशेष स्कूलें की स्थापना, और विकास, तथा

(3) मानवसंसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना।